

30/4/2022 अगिल्लैख उपलगापित । देनदार द्वारा बकाया राशि कार्यालय के नज्दत शाला में N.R.No - 3409458 दिनांक-25/04/2022 के द्वारा जमा किया गया है।

शाला प्रबंधक SBI के द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि देनदार द्वारा अपनी कुल राशि के 50% राशि जमा करने के पश्चात देनदार से संबंधित जीलाम पत्र वाद लोक अदालत में आपली समंजस के तहत निष्पादन किया जाता है।

वर्तमान में देनदार द्वारा 50% राशि जमा कर दिया गया है।

अतः लोक अदालत में जीलाम पत्र वाद निष्पादन की प्रत्याशा में अगिल्लैख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

30/4/22  
जीलाम पत्र पदाधिकारी  
याकुलिमा